

प्रेषक,

सुबद्धन
अपर सचिव (रवतंत्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २० सितम्बर, 2011

विषय— प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ दिये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 329 / XXIV-2 / 2007 दिनांक 08.04.2011 के प्रस्तर-4 में संशोधन।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक पुनर्नियुक्ति संबंधी शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या— 694 / XXIV-2 / 2007 दिनांक 30 नवम्बर, 2007, एवं शासनादेश संख्या 470 / XXIV-2 / 2007 दिनांक 18 मई 2011 को अतिकमित करते हुए शासनादेश सं 329 / XXIV-2 / 2007 दिनांक 8 अप्रैल 2011 के प्रस्तर 4 में यह व्यवस्था की गई है कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 (क) में संशोधन के विषय में व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से लागू होगी।

2— उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 56 (क) में वित्त विभाग द्वारा यथासमय संशोधन किया जायेगा।

3— शारानादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4— इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पूर्व ऐसे अध्यापक/प्रधानाचार्य जिन्हे शैक्षणिक सत्र 2010–11 के अन्त तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है, वे पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी शारानादेश सं0 694 XXIV–2/2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 से ही आच्छादित रहेंगे।

5— शासनादेश दिनांक 8 अप्रैल 2011 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—561/XXVII(7)/2011 दिनांक 19 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

✓
(सुबद्धन)
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार)

संख्या—४५४(1)/XXIV–2/11/9(11)/2008 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निजी सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— निजी सचिव—मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— समरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
- 5— समरत वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
- 7— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8— समरत जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
- 9— प्रभारी, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10— प्रभारी, भीड़िया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11— वित्त (वे०आ०—सा०वि०) अनुभाग—7 उत्तराखण्ड शासन।
- 12— शिक्षा अनुभाग—1 (बेरिक) / शिक्षा अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
- 13— गार्ड फाईल

आज्ञा से

कवीन्द्र सिंह
(कवीन्द्र सिंह)
✓ अनु सचिव